रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042024-253852
CG-DL-E-25042024-253852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1699] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 05, 1946
No. 1699] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 05, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

का.आ. 1791(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में गोवा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) डॉ. पुरुषोत्तम राया पेडनेकर, अध्यक्ष;
निवास - सूर्य गणेश, एच. एन. 4/95/एफ, एसएजी गर्ल स्पोर्ट्स होस्टल, पेडुम, मापुसा, गोवा, पिन - 403526

(ii) डॉ. दीपक सी. एस. गायतोंडे, सदस्य;
विभागाध्यक्ष - मानविकी और विज्ञान, शासकीय पॉलिटेक्निक, पणजी और निवास - एएफ परिकर हिल रेजीडेंसी, खोरलिम, मापुसा, बार्देज़-गोवा, पिन - 403507

(iii) निदेशक, (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन), पदेन संयुक्त सचिव, गोवा सरकार सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जिसका पैरा 6 के अधीन गठन किया गया है, की सिफारिशों पर अपने विनिश्चय करेगा ।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय साधारणतया एकमत से लिए जाएंगे :

परंतु बहुमत द्वारा कोई निर्णय लेने की दशा में उसके पक्ष में और उसके विरुद्ध विचारों को स्पष्टतः उसके कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

6. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए गोवा राज्य सरकार के परामर्श से विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

(i)	इंजी. पासकोल बारबोसा नोरोन्हा, एच. नं. 206, सेंट जोआकिम रोड, सेंट जोआकिम चैपल के सामने, बोर्डा - 403602	अध्यक्ष;
(ii)	डॉ नितिन एस सावंत, सहायक प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान, गोवा विश्वविद्यालय, निवास 991/ए, श्री गणेश, आल्टो पोरवोरिम, बोर्डेज, गोवा, पिन - 403521	सदस्य;
(iii)	डॉ. सुभाष हनमंतप्पा भोसले, एच. नं.15/बी, श्री शारदा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फार्मगुडी-धवली बाईपास रोड, होटल वेंकटेशलील के पीछे, झेमेटिम्ब, बंदोरा, पोंडा- गोवा	सदस्य;
(iv)	श्री प्रसाद शशिकांत रंगनेकर, कोरलिम, एला टिसवाड़ी, गोवा	सदस्य;
(v)	डॉ. जोस रोमेनो फलेरियो, मारियेला, हाउस नंबर. 225, आर्लेम-रिया, साल्सेट, गोवा	सदस्य;
(vi)	श्री संजय जहागीरदार, एच. ओ. नं. 5/1812/1, हाउसिंग बोर्ड, सैंक्वेलिम, गोवा - 403505	सदस्य;
(vii)	श्री सुजीतकुमार मरियप्पा डोंगरे, वैज्ञानिक-डी, ब्लू फ्लैग इंडिया, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, गोवा, निवास - एफ-2, नाडकर्णी मनोर, डिफेंस कॉलोनी, अल्टो पोरवोरिम, बार्देज-गोवा, पिन-403521	सदस्य;
(viii)	श्री संजय अमोनकर, चिकालिम, गोवा	सदस्य;
(ix)	वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सालिगाओ सेमिनरी के सामने, सालिगाओ, बारदेज़-गोवा	सदस्य सचिव ।

IndiaCode

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. हितों के किसी टकराव से बचने के लिए-

(i) समिति के अध्यक्ष और सदस्य तथा प्राधिकरण -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है ; और

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण और समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और समिति की बैठक बचाव करेंगे ।

11. गोवा राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा ।

12. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता गोवा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.सं. आईए 3-13/1/2024-आई.ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2024

S.O. 1791(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Goa (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i) Dr. Purushottam Raya Pednekar, -Chairman;

residing at Surya Ganesh, H.No.4/95/F, Next to SAG Girl Sports Hostel, Peddem, Mapusa, Goa. Pin 403526

(ii) Dr. Dipak C. S. Gaitonde, -Member;

Head of Department - Humanities and Science, Government Polytechnic, Panaji, and residing at AF-Parrikar Hill residency, Khorlim, Mapusa, Bardez-Goa, Pin. 403507

(iii) Director (Environment and Climate Change), *Officio*, Jt. Secretary, Government of Goa *Ex*-Member- Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof shall be sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Goa, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely: -

(i) Er. Pascoal Barbosa Noronha, -Chairman;

H. No. 206, St. Joaquim Road, Opposite St. Joaquim Chapel. Borda, 403 602

(ii) Dr. Nitin S. Sawant, -Member;

Assistance Professor of Zoology, Goa University residing at H.No. 991/A, Shri Ganesh, Alto Porvorim, Berdez, Goa Pin. 403521

(iii) Dr. Subhash Hanamantappa Bhosale, -Member;

H.No.15/B, Shree Sharada Co. Op. Housing Society, Farmagudi- Dhavali Bypass road, Behind Hotel Venkateshleel, Xemetimb, Bandora, Ponda-Goa

(iv) Shri Prasad Shashikant Rangnekar, -Member;

Corlim, Ella Tiswadi, Goa

(v) Dr. Jose Romeno Faleiro, -Member;

Mariella, House No.225, Arlem-Raia, Salcete, Goa

(vi) Shri. Sanjay Jahagirdar, -Member;

Ho.No.5/1812/1, Housing Board, Sanquelim, Goa 403505

(vii) Shri Sujeetkumar Mariappa Dongre, -Member;

Scientist-D, Blue Flag India, Centre for Environment Education,

Goa residing at F-2, Nadkarni Manor, Defence Colony, Alto Porvorim, Bardez-Goa, Pin.403521

(viii) Shri Sanjay Amonkar, -Member;

Chicalim, Goa

(ix) Senior Environmental Engineer, -Member -Secretary.

Goa State Pollution Control Board

Opp. Saligao Seminary, Saligao, Bardez-Goa

7. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if consensus cannot be reached the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

IndiaCode

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority or Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The State Government of Goa shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee which shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Goa.

[IA3-13/1/2024-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.25 21:06:58 +05'30'